

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं0सं0-01-स्था0-(संविदा)-01/2021-574

पटना, दिनांक-03-03-2025

कार्यालय आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-10000, दिनांक-10.07.2015 द्वारा निर्गत दिशा निर्देश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापांक-22/से0नि0-03/2021, सा0प्र0-1916, दिनांक-10.02.2021 द्वारा प्राप्त विभाग स्तरीय चयन समिति की अनुशांसा के आधार पर श्री शंकर यादव, (सेवानिवृत्त) कार्यालय परिचारी को संविदा पर दो वर्ष के लिए नियोजित किया गया था।

2. राजस्व पर्षद, बिहार के पत्रांक-405, दिनांक-01.03.2024 द्वारा इनका सेवा दिनांक-26.02.2024 से 07.01.2025 तक एक वर्ष के लिए विस्तारित किया गया था।

3. इनका संविदा विस्तार दिनांक-08.01.2025 से दिनांक-07.01.2026 (उम्र 65 वर्ष) तक के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक किया जाता है।

4. इनके द्वारा किये जा रहे कार्यों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, कार्य संतोषजनक नहीं होने पर संविदा रद्द कर दी जायेगी।

5. प्रस्ताव पर सचिव, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

राजस्व पर्षद के आदेशानुसार

[Signature]
03-03-25

अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-03-03-2025

ज्ञापांक-01-स्था0-(संविदा)-01/2021-574

प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार पटना/माननीय अध्यक्ष-सह-सदस्य के आप्त सचिव/माननीय अपर सदस्य के कोषांग/सचिव के आप्त सचिव/ उप सचिव/अवर सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी स्थापना/लेखा शाखा, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना एवं श्री शंकर यादव, कार्यालय परिचारी (संविदा), राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
03-03-25

अवर सचिव

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना

[Signature]
03-03-25